



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 207 / SEIAA/2022

Date: 22/4/22

प्रति,


खनिज अधिकारी,  
जिला - झाबुआ (म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्रमांक 6561/2019 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अन्तरा माईन्स एण्ड मिनरल्स, श्रीमती पुष्पा परमार, ग्राम चैनपुरा, तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 48500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 550, 552, 577, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम मानपुर, तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 563वीं बैठक दिनांक 04.04.2022 की अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 718 वीं बैठक दिनांक 12.04.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया .....

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खदान क्षेत्र के अंदर दो सरफेस ड्रेन एवं जल रोकने की संरचना परिलक्षित हो रही है। अतः उपरोक्त प्रकरण में पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत जिला खनिज अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से 15 दिवस में अभिमत एवं अनापत्ति प्राप्त की जाये तथा प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में कृपया 15 दिवस में प्रस्तावित खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अभिमत एवं अनापत्ति SEIAA कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


  
(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 208 /SEIAA/2022

दिनांक - 22/4/22

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला झाबुआ (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मेसर्स अन्तरा माईन्स एण्ड मिनरल्स, श्रीमती पुष्पा परमार, ग्राम चैनपुरा, तहसील थांदला, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।

  
प्रभारी अधिकारी